न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री हेताराम चौहान R.A.S.

प्रकरण संख्या : 01/2019 राजस्व अपील

उनवान

1. अस्तार खां पिता नवाब जान पठान उम्र वयस्क निवासी सरदारनगर तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

—— **अपीलार्थी**

बनाम

1 ग्राम पंचायत सरदारनगर तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा जरिये सरपंच
2 राज. राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

——**रेस्पोडेण्ट्स**

<u>अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नामा. संख्या 3570 आदेश दिनांक 14–10–2016 ग्राम पंचायत सरदारनगर</u>

उपस्थित –

1. श्री मुरारी जोशी....................अपीलार्थी अधिवक्ता उपस्थित
2. प्रत्यर्थीगण ....अनुपस्थित

<u>निर्णय</u>

दिनांक – 26.02.2019

अपील के संक्षेप तथ्य यह है कि ग्राम सरदारनगर, पटवार मण्डल सरदारनगर स्थित खतौनी संख्या 1036 के आराजी संख्या 1640 रकबा 00–02 बिस्वा भूमि स्थित है जिसमें अपीलार्थी के द्वारा राजीदेवी पत्नि राधेश्याम कुमावत से दिनांक 30.05.2016 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख खरीदशुदा होकर पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 119 में पृष्ठ संख्या 148 क्रम 201603040100586 पर पंजीबद्ध है। खरीदाशुदा आराजीयात का ग्राम पंचायत सरदारनगर द्वारा जरिये इन्तकाल संख्या 3570 से विवादित आराजीयात का नामान्तरकरण अपीलार्थी के पक्ष में खोला गया, किन्तु सेहवन से अपीलार्थी का नाम अस्तार खां पिता नवाबजान पठान के स्थान पर अख्तार खां पिता नवाबजान पठान दर्ज कर दिया गया। प्रमाणितकता के तौर पर अपीलार्थी के पक्ष में हुई रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांकित 30.05.2016 की छायाप्रति अपील मेमो के साथ सादर प्रस्तुत है। जिसमें अपीलार्थी का नाम अस्तार खां पिता नवाबजान पठान अंकित है। इस प्रकार ग्राम पंयायत सरदारनगर द्वारा खोले गये नामान्तकरण संख्या 3570 दिनांक 14.10.2016 में अपीलार्थी का नाम अस्तार खां पिता नवाबजान पठान के स्थान पर अख्तार खां पिता नवाबजान पठान त्रूटीपूर्ण दर्ज करा, नामान्तकरण फैसल कर दिया गया। जो कि विधि विरूद्ध होकर नामान्तकरण अपास्त योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भील.)

उक्त तथाकथित नामान्तरकरण की जानकारी होते ही अपीलार्थीगण द्वारा दिनांक 10.12.2018 को विधिवत नकल प्राप्त की गई तथा जानकारी होते ही यह अपील अविलम्ब प्रस्तुत की गई है। किन्तु फिर भी सम्भाव्य तौर पर विलम्बित अवधि के लिए दफा 5 मियाद अधिनियम के तहत प्रा.पत्र प्रस्तुत कर क्षम्य किये जाने का अनुरोध किया। प्रा.पत्र की ताईद में शपथपत्र भी पेश हुआ। जिसका कोई ठोस खण्डन अभिलेख पर नहीं होने तथा प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण का प्रा.पत्र दफा-5 स्वीकार किया जाकर विलम्बित अवधि क्षम्य की जाती है।

प्रकरण को दिनांक 07.02.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेण्ट्स की तलबी की गई। दिनांक 26.02.2019 को प्रत्यर्थीगण सुचित होने बावजूद नियत सुनवाई पर अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये, प्रकरण के शीघ्र निस्तारण की भावना से प्रेरित होकर अपीलार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में बहस करना चाहने से बहस एकपक्षीय सुनी गई।

उपस्थित अभिभाषक को सुना गया। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा अपनी और से प्रस्तुत बहस में कथन कर निवेदन किया कि अपीलार्थी के पक्ष में ग्राम पंयायत बबराणा द्वारा खोले गये नामान्तकरण संख्या 3570 दिनांक 14.10.2016 में अपीलार्थी का नाम अस्तार खां पिता नवाबजान पठान के स्थान पर अख्तार खां पिता नवाबजान पठान त्रूटीपूर्ण दर्ज करा, नामान्तकरण फैसल कर दिया गया। जो कि कानूनन तौर पर विधि विरूद्ध होने से नामान्तरकरण अपास्त किया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने बाबत निवेदन किया।

हमने पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध सभी दस्तावेजात, आधार राजस्व अभिलेखों का अध्ययन/परीक्षण किया व अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया। हम अपीलार्थी पक्ष के इस तर्क से सहमत है कि अपीलार्थी के बिना जानकारी अपीलार्थी की पहचान सम्बन्धी जांच किये, उनके वास्तविक नाम अस्तार खां पिता नवाबजान पठान के स्थान पर अख्तार खां पिता नवाबजान पठान का त्रूटीपूर्ण अंकन, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व अभिलेखो में अपीलार्थी के बिना जानकारी के दर्ज कराने का वैधानिक अधिकार नही था। जो कि कानूनन तौर गलत है।

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के परिणामस्वरूप तथ्यो के सूक्ष्म परीक्षण उपरान्त तथा आधार अभिलेखों के अध्ययन व परिक्षण पश्चात, विधि द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त तथ्यो एंव परिस्थितियों को मध्यनजन रखते हुए अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भील.)

: : आदेश : :

अतः अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामा. संख्या 3570 आदेश दिनांक 14–10–2016 ग्राम पंचायत सरदारनगर को अपास्त किया जाता है। प्रकरण में पारित निर्णय की प्रति तहसीलदार बनेडा को प्रकरण में पारित निर्णय की प्रति ग्राम सरदारनगर पटवार हल्का क्षैत्र सरदारनगर स्थित खतौनी संख्या 1036 के आराजी संख्या 1640/4 रकबा 00–02 बिस्वा भूमि के राजस्व अभिलेखों में अपीलार्थी का नाम अख्तार खां पिता नवाबजान पठान के स्थान पर अस्तार खां पिता नवाबजान पठान बतौर सहखातेदार दर्ज किये जाने के निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2019 को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

निर्णय की प्रति तहसीलदार बनेडा को पालनार्थ प्रेषित हो।

(हेताराम चौहान)
उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

क्रमांक/प्रकरण संख्या/अपील एलआर/01/2019 दिनांकः 26.02.2019

प्रतिलिपिः–

तहसीलदार बनेड़ा को पालनार्थ प्रेषित हो ।

उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भील.)